हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति विकास निगम,
कल्याण भवन, सोलन--173212.

संख्या-एससीडीसी/(ए)5/2006-विकास-वैवसाईट- 15 दिनांक 3-4-18

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
लालपाणी, हि0प्र0 शिमला-1.

2. निदेशक,
तकनीकी शिक्षा विभाग,
सुन्दरनगर,जिला मण्डी (हि0प्र0)

विषयः हि0प्र0 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित शिक्षा ऋण योजना को वैवासाईट पर रखने के सम्बन्ध में ।

महोद्य,

हि0प्र0 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में उनके द्वारा यह सुझाव दिया गया कि निगम द्वारा संचालित शिक्षा ऋण योजना को शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग की वैवासाईट में सम्मिलित करवाए जाने का अनुरोध किया गया । निगम द्वारा संचालित उक्त योजना बारे संक्षिप्त जानकारी निम्न प्रकार से है:-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे परिवारों के युवाओं/युवतियों को मैट्रिक तथा 10+2 के बाद तकनीकी एवं व्यवसायिक विषयों में शिक्षा ग्रहण करने हेतु ब्याज मुक्त अध्ययन ऋण दिया जाता है । ऋण प्राप्त करने हेतु ऐसे छात्र जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1.00 लाख रूपये से कम हो, ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं । इस योजना की अधिकतम ऋण सीमा पॉच वर्षीय डिग्री/कोर्स के लिए 75,000/-रू0 है जो आवेदक के पक्ष में दो किस्तों में जारी की जाती है । इस प्रकार के ऋणों में कोई ब्याज नहीं लिया जाता है । यह पूर्ण राशि ब्याज रहित होती है ।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त यह निगम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवाओं/युवतियों को जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 98,000/-रू0 तथा शहरी क्षेत्रों में 1,20,000/-रू0 से कम हो, उन्हें 6% ब्याज पर ऋण दिए जाते हैं । उपरोक्त योजना से सम्बन्धित विवरण इस पत्र के साथ संलग्न है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि निगम की उपरोक्त शिक्षा ऋण योजनाओं को अपने विभाग की वैवासाईट में शामिल करने की कृपा करें ताकि निगम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिक-से-अधिक पात्र युवा/युवतियों को ऋण प्रदान कर सके ।

भवदीय
प्रबन्ध निदेशक ।

पृ0संख्या-यथोपरि- दिनांक

प्रतिलिपिः

अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा) हि0प्र0 सरकार, शिमला-2 से अनुरोध है कि उपरोक्त अनुसार सम्बन्धित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा की जाए ।

प्रबन्ध निदेशक ।

ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण योजना ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के निर्धन परिवारों के मेधावी छात्र जो धन के अभाव से अपनी व्यवसायिक व तकनीकी उच्च शिक्षा अध्ययन को जारी नहीं रख सकते हैं उनके लिए निगम शिक्षा ऋण प्रदान करता है ताकि वे अपना अध्ययन जारी रख सकें ।

योजना की मुख्य विशेषतायें:-

(क) योजना:

1) मैट्रिक स्तर के ऊपर व्यवसायिक एवं तकनीकी विषयों में मान्य प्राप्त शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाना ।

2) ऋण सीमा:- : 5 वर्ष के अध्ययन के लिए अधिकतम ऋण मु0 75,000/-रू0

3) ब्याज दर : ब्याज मुक्त

4) अनुमोदित विषय/कोर्स (व्यवसायिक एवं तकनीकी) : एम0बी0बी0एस0, एम0डी0, एम0एस0, जी0ए0एम0एस0, नर्सिंग, एल0एल0बी0 पी0एच0डी0, बी0एड, जे0बी0टी0, तकनीकी डिप्लोमा व डिग्री, होटल मैनेज़मैन्ट, पायलट प्रशिक्षण, कृषि बागवानी में स्नातकोतर अध्ययन इत्यादि ।

(ख) वित्तीय स्त्रोत: हि0प्र0 अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति विकास निगम ।

(ग) पात्रता:

1) आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखता हो व हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी हो ।

2) परिवार की वार्षिक आय मु0 1,00,000/-रू0 से कम हो ।

3) मान्य प्राप्त शिक्षा संस्थान का नियमित छात्र हो ।

4) वित्तीय संस्थाओं का ऋण दोषी न हो ।

शिक्षा ऋण योजना (एनएसएफडीसी/(एनएसटीएफडीसी) ।

निगम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के निर्धन परिवारों के मेधावी छात्रों/छात्राओं जो धन के अभाव से अपनी व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षा अध्ययन को जारी नहीं रख सकते हैं, उनके लिए शिक्षा ऋण राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के सौजन्य से अनुमोदित व्यवसायों में ऋण प्रदान करवाता है ताकि वे अपना अध्ययन जारी रख सके ।

योजना की मुख्य विशेषताएँ ।

क0सं0	विवरण	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
(i)	ऋण सीमा अधिकतम	मु0 10.00 लाख रूपये	मु0 5.00 लाख रूपये
(ii)	ब्याज दर	4% वार्षिक महिलाओं के लिए 0.5% की ब्याज में छूट	6% वार्षिक
(iii)	ऋण अदायगी अवधि	मु0 7.50 लाख रूपये तक = 10 वर्ष मु0 7.50 लाख रूपये से अधिक 10.00 लाख रू0 तक = 15 वर्ष	5 वर्ष
(iv)	वित्तीय स्रोत	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के सौजन्य से सीधे तौर पर ।	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के सौजन्य से सीधे तौर पर ।
(v)	पात्रता	1) परिवार की वार्षिक आय सीमा:-	
		क) ग्रामीण क्षेत्र मु0 98,000/-रू0 ख) शहरी क्षेत्र मु0 1,20,000/-रू0	क) ग्रामीण क्षेत्र मु0 98,000/-रू0 ख) शहरी क्षेत्र मु0 1,20,000/-रू0
		2) आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए । 3) वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बन्ध रखता हो। 4) मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान का नियमित छात्र हों । 5) आवेदक किसी बैंक या किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था का ऋण दोषी नहीं होना चाहिए ।	